

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2023—भाद्र 10, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2023

क्र. ई-1-122-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	तालिका नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (2008), अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री अजय श्रीवास्तव (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह.	अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति, वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
3.	श्रीमती रानी बाटड (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला.	अपर आयुक्त (राजस्व), शहडोल संभाग, शहडोल.	—
4.	श्री अजय देव शर्मा (2014), अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन.	—
5.	श्रीमती जमुना भिड़े (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम.	अपर आयुक्त (राजस्व), इंदौर संभाग, इंदौर.	—
6.	श्री अर्पित वर्मा (2015), अपर कलेक्टर, जिला शहडोल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह.	—
7.	श्री किरोड़ी लाल मीना (2016), अपर कलेक्टर, जिला धार.	संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्वैरिटी इंसीडेंट रिस्पॉंस टीम (SCSIRT).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8.	श्री अभिलाष मिश्रा (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल.	अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
9.	सुश्री अंकिता धाकरे (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन.	अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
10.	श्रीमती अंजू अरूण कुमार (2017), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
11.	श्री अमन वैष्णव (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम.	—
12.	श्री अक्षत जैन (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर, जिला छतरपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल.	—
13.	श्री श्रेयान्स कूमट (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिंदवाड़ा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला.	—
14.	श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर.	—
16.	श्रीमती काजल जावला (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहपुरा, जिला डिण्डौरी.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	—
17.	श्री दिलीप कुमार (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद, जिला खण्डवा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर.	—
18.	श्री हिमांशु प्रजापति (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा, जिला रतलाम.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास.	—
19.	श्री आकाश सिंह (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़नगर, जिला उज्जैन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	—
20.	सुश्री निधि सिंह (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चंदेरी, जिला अशोकनगर.	अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
21.	श्री पंवार नवजीवन विजय (2019), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी.	—
22.	डॉ. नागार्जुन बी. गौडा (2019), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग.	अपर कलेक्टर, जिला हरदा.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
23.	श्रीमती सपना पंकज सोलंकी, भाप्रसे, अपर परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	—
24.	श्री अभय सिंह ओहरिया, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	—
25.	श्रीमती रेखा राठौर, भाप्रसे, प्राचार्य, राजस्व प्रशिक्षण शाला, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री कृष्ण गोपाल तिवारी द्वारा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जॉन किंगसली ए. आर., भाप्रसे (2004), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग एवं संचालक (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्री किरोड़ी लाल मीना द्वारा संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्विरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्विरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्विरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) उरोक्तानुसार श्रीमती जमुना भिडे द्वारा अपर आयुक्त (राजस्व), इंदौर संभाग, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रजनी सिंह, भाप्रसे (2014), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर तथा अपर आयुक्त (राजस्व), इंदौर संभाग, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर आयुक्त (राजस्व), इंदौर संभाग, इंदौर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2023

क्र. ई-1-137-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	तालिका नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री श्रीकांत बनोट (2009), सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-श्रम-आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2.	श्री तरूण राठी (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग.	कलेक्टर, जिला गुना.	—
3.	श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी (2011), आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	—
4.	श्री हरजिंदर सिंह (2011), परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल.	कलेक्टर, जिला पन्ना.	—
5.	श्री संजीव श्रीवास्तव, (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला भिण्ड.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्री मनोज पुष्प (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा.	—
7.	श्री संजय कुमार मिश्रा (2011), कलेक्टर, जिला पन्ना.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	—
8.	श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (2012), कलेक्टर, जिला उमरिया.	सचिव, मध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.	—
9.	श्री सतीश कुमार एस. (2013), कलेक्टर, जिला भिण्ड.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
10.	श्री फ्रैंक नोबल ए. (2013), कलेक्टर, जिला गुना.	आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
11.	श्रीमती शीतला पटले (2014), कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा.	उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
12.	श्री बुद्धेश कुमार वैद्य (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल.	कलेक्टर, जिला उमरिया.	—
13.	श्री संदीप केरकेट्टा, भाप्रसे, अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

क्र. ई-1-136-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. पवन कुमार शर्मा (1999), वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, इंदौर संभाग, इंदौर तथा आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर तथा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर, (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल तथा कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2.	श्री संदीप यादव (2000), कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	—
3.	डॉ. संजय गोयल (2003), प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	—
4.	श्री मालसिंह भयडिया (2006), कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल.	कमिश्नर, इंदौर संभाग, इंदौर तथा आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार).	—
5.	श्री श्रीमन शुक्ला (2007), कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम	प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री श्रीमन शुक्ला द्वारा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गौतम सिंह, भाप्रसे (2011), अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2023

क्र. ई-1-142-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संजय कुमार मिश्रा (2011), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा सचिव-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, भोपाल.	—
2.	श्री सोमेश मिश्रा (2013), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3.	श्रीमती अंजली जोसफ (2018), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.	—

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2023

क्र. ई-5-770-आयएस-लीव-पांच-1.—(1) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, (भाप्रसे-1998) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 24 अगस्त से 13 सितम्बर 2023 तक, इक्कीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त, 2023

क्र. ई-1-51-2023-पांच-एक.— भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 2(7)/2021-Pers. I, दिनांक 25 जुलाई, 2023 के अनुक्रम में, श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे (2016), प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश, भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सेवाएं Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Electronics and Informaton Technology (Shri Rajeev Chandrasekher) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से माननीय राज्यमंत्री जी के कार्यकाल अवधि के को-टर्मिनस आधार अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 2023

क्र. ई-1-51-2023-पांच-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अगस्त, 2023 द्वारा श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे (2016), प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश, भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सेवाएं Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Electronics and Information Technology (Shri Rajeev Chandrasekhar) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी गई हैं।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे (2016) के कार्यमुक्त होने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे (2016) संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिस्तेम रिजिस्ट्रार टीम (SCSRIT) भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश, भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2023

एफ 1-3-6-0002-2023-जीएडी-1-01(जीएडी).—माननीय न्यायाधिपति, श्री प्रणय वर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. बी-4754-(दो-1-11-2022), दिनांक 14 जुलाई 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 12 से 28 जून 2023 तक, सत्रह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृति एवं साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 25 अगस्त 2023

क्र. भू-अर्जन-2023-24-67.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	बसगढ़ी माल, प. ह. नं. 42	8.63	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2023-24-68.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	दरगढ़, प. ह. नं. 60	21.77	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-69.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	कापा माल, प. ह. नं. 63	245.21	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2023-24-70.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	नैझर प. ह. नं. 62	0.04	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-71.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	पंडरीतलाई प. ह. नं. 62	2.69	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2023-24-72.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	मुरलापानी प. ह. नं. 61	0.57	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-73.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	सिवनी माल प. ह. नं. 67	144.29	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-74.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	फड़की माल प. ह. नं. 66	19.793	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-75.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	निवास	चकदेही रैयत प. ह. नं. 64	498.47	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), निवास या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मण्डला, दिनांक 31 अगस्त 2023

क्र. भू-अर्जन-2023-24-76.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	बड़झार, प. ह. नं. 06	158.87	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-77.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	धनगांव, प. ह. नं. 05	171.44	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-78.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	औदारी, प. ह. नं. 06	242.78	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-79.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	उमरडीह, प. ह. नं. 06	116.61	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-80.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	रमपुरी, प. ह. नं. 05	145.03	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-81.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	बिलगढा रैयत, प. ह. नं. 02	43.63	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	चुभावल, प. ह. नं. 07	2.51	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2023-24-83.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	दुपटा, प. ह. नं. 05	210.67	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलोनी सिडाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 अगस्त 2023

क्र. 5476-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम उभेगांव खजरी, प.ह.नं.-43,
ब. नं.-19, रा. नि. मं.-पिंडरईकला
(घ) अर्जित किये जाने वाली कुल रकबा-0.125
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/2/1	0.015
13	0.110
योग .	0.125

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर निर्माण किये जाने हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक 01, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5477-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम सांख, प.ह.नं.-53,
ब. नं.-270, रा. नि. मं.-कपुर्दा
(घ) अर्जित किये जाने वाली कुल रकबा-01.469
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.024
13/7	0.035
1/5	0.080
1/6	0.032
1/10, 17/2	0.048
1/8, 16, 17/1, 18/9	0.051
18/4	0.064
19/1	0.168
26/9	0.108

(1)	(2)	क्र. 5478-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
26/5/1	0.008	अनुसूची	
26/5/2	0.008		
26/5/3	0.008		
26/5/4	0.008		
26/5/5	0.008		
25/2, 26/13	0.036		
41/3	0.162		
41/2	0.045		
48/2, 49/2, 55/2, 56/2	0.144		
59/6/1	0.080		
59/16, 67/9	0.128		
60/1	0.144		
60/3/1	0.040		
60/3/2	0.040		
योग .	01.469		
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की सबमाईनर नं. 1 एल, 3 एल, माईनर नहर निर्माण किये जाने हेतु.			(1) भूमि का वर्णन—
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.		(क) जिला—छिन्दवाड़ा	
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(ख) तहसील—चौरई	
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(ग) नगर/ग्राम—ग्राम घिरेटिया बिसाला, प.ह.नं.-52, ब. नं.-62, रा. नि. मं.-कपर्दा	
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक 02, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—	
		कुल रकबा-01.646 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	
		प्रस्तावित खसरा नम्बर	
		(1)	
		(2)	
		9	
		0.054	
		7/2, 8/5, 20/5, 21/5, 22/5	
		0.096	
		11/1, 12/1, 13/1	
		0.024	
		11/3, 12/3, 13/3	
		0.051	
		15/2	
		0.100	
		15/3	
		0.105	
		15/1/1	
		0.088	
		31/2, 124/5	
		0.040	
		31/1	
		0.060	
		33, 34	
		0.024	
		35/1	
		0.098	
		35/2	
		0.048	
		125, 126, 127	
		0.084	
		124/2, 130/2	
		0.126	
		130/1, 131, 132	
		0.040	
		123/14, 123/15	
		0.132	
		137/2	
		0.168	
		137/1	
		0.056	
		142/1, 143/1, 148/1, 149/1	
		0.048	
		140/2, 141/2, 144/2	
		0.016	
		140/1, 141/1, 144/1	
		0.188	
		योग .	
		01.646	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यपवर्तन परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की 6 एल माईनर नहर निर्माण किये जाने हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक 02, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5479-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम खैरीखुर्द, प.ह.नं.-31,
 ब. नं.-54, रा. नि. मं.-कपुर्दा
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.012
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
 क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियां.		प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित खसरा	नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(2)
243/4, 244/5, 247/4		0.012
	योग . . .	0.012

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यपवर्तन परियोजना के हरदुआ वितरक नहर की 1 एल माईनर नहर के निर्माण किये जाने हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक 01, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

क्र.-113-भू-अर्जन-2023

नीमच, दिनांक 3 अगस्त 2023

शुक्र. मध्यप्रदेश राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14-11-2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपकर्मों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अचोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री जल ससाधान सभाग नीमच जिला नीमच द्वारा ग्राम बैसदा एवं पलासिया तहसील मनासा जिला नीमच में चम्बलेश्वर तालाब की 01 फीट उंचाई बढ़ाने/निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है, इसका विवरण निम्नानुसार है :-

आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिका 11(1) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जा रही है। कय नीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 15 दिवस के भीतर अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति कलेक्टर कार्यालय नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

क्षेत्रफल - कुल रकबा 2-523 हेक्टर में से 2-523 हेक्टर

स. क्र.	विवरण / खातेदार का नाम	प्रभावित भूमि का सर्ग न.	कुल रकबा हेक्टर में	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा			रिमांक
				सिति त	असि चित	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लक्ष्मीनारायण, दशरथ पिता मोहनलाल, कचनबाई बेवा मोहनलाल गायरी निवासी पलासिया	42/1/1	0.120	0.120	-	0.120	निजी भूमि
2	बदोलाल, कपरलाल, तारचंद्र, आत्माराम पिता रतनलाल गायरी निवासी पलासिया	42/2/1	0.050	0.050	-	0.050	निजी भूमि
3	मागीलाल पिता नारायण जाति चमार निवासी पलासिया	160/मिन-1	0.300	0.300	-	0.300	निजी भूमि
4	धन्नीबाई बेवा प्रमूलाल, सतोषबाई, कारीबाई, मोहनबाई, पिता प्रमूलाल चमार निवासी पलासिया	161/मिन-1/1	0.480	0.480	-	0.480	निजी भूमि
5	धीसालाल पिता रामचन्द्र हिस्सा 1/2 भाग रतनो बेवा रामचन्द्र हिस्सा 1/2 भाग निवासी पलासिया	162 मिन-1	0.340	0.340	-	0.340	निजी भूमि
योग रकबा		कुल किता 05	1.290	1.290	-	1.290	
ग्राम बैसदा तहसील मनासा जिला नीमच							
1	श्री भूखीमाता मंदिर स्थित ग्राम बैसदा प्रबंधक जिला कलेक्टर म.प्र. शासन	167	0.060	0.060	-	0.060	म.प्र. शासन देवरथान भूमि (तहसीलदार मनासा अधिकृत)
2	प्रथा पिता हीरा गायरी निवासी नयाखंडा तहसील मल्हारगढ़, शंभू पिता उंकार गायरी निवासी पलासिया	169	0.944	0.944	-	0.944	निजी भूमि
3	बशीलाल पिता रूपा, मुकेश, पार्यतीबाई, राधेराम, नानीबाई, रामेश्वरीबाई पिता कन्नोयालाल व रामलाल, लीलाबाई, कलाबाई पिता मथुरालाल सभी जाति धाकड निवासी कंजाडा	169/213	0.069	-	0.069	0.069	निजी भूमि
4	बाबुलाल, मोहनलाल, रामलाल, पिता बिंदीलाल हिस्सा 1/4 नानालाल पिता सुखा हिस्सा 1/4 शिवलाल, हरिश, प्रहलाद पिता प्रेमचन्द्र, संगीताबाई बेवा जगदीश, तनिश, दीशा पिता जगदीश ना.बा. सर. माता संगीताबाई बेवा जगदीश हिस्सा 1/4 प्रमूलाल, अमृतलाल पिता सुन्दरलाल जाति धाकड निवासी कंजाडा हिस्सा 1/4	174/1	0.160	0.160	-	0.160	निजी भूमि
योग रकबा		कुल किता 04	1.233	1.164	0.069	1.233	
महायोग		कुल किता 09	2.523	2.454	0.069	2.523	

दिनेश जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 14 अगस्त 2023

प्रकरण क्रमांक //५१/बी-121/23-24 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 05 में वर्णित भूमि के खाने 07 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूचि के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा - 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

- (1) - भूमि का विवरण ।
(क) - जिला रायसेन ।
(ख) - तहसील / तालुका बेगमगंज ।
(ग) - ग्राम पंढरभटा ।

- :: अनुसूची :: -

- :: भूमि का विवरण :: -

स. क्र.	कब्जेदार का नाम उसके पिता/पति का नाम व निवास स्थान	खसरा क्रमांक	कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
१	२	३	४	५	६	७
१	अशोक, यजू आ. हुकमसिंह जाति लुहार निवासी पंढरभटा	415/1	1.635	1.635	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रायसेन	चरगवाँ जलाशय
		416	0.045	0.045		
		417/1, 418	0.142	0.142		
	योग-		1.822	1.822		
२	चतुर शीलाबाई आ. खिलान व सियाबाई बेवा खिलान जाति यादव निवासी बेगमगंज	584/404	0.466	0.230		
		587/404	0.890	0.890		
		409	0.470	0.470		
		571/410	0.210	0.210		
		405/1/4	0.073	0.073		
		406/2	0.073	0.073		
		407	0.202	0.202		
		408	1.295	1.295		
	योग-		3.679	3.443		
३	रामविशाल आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	569/391/1	0.283	0.283		
		393/1/1	1.387	1.387		
	योग-		1.670	1.670		

४	गन्धर्वसिंह आ. कल्याणसिंह व देवीसिंह आ. गन्धर्व सिंह जाति यादव	417/3, 418	0.040	0.040		
		613/410	1.475	0.875		
		414	0.530	0.530		
	योग-		2.045	1.445		
५	ग्याप्रसाद आ. गजराज सिंह जाति यादव	390	0.057	0.057		
		396	0.069	0.069		
		397	0.243	0.243		
		398	0.352	0.352		
		399	0.194	0.194		
		401	0.295	0.090		
		583/378	0.383	0.383		
		569/391/2	0.243	0.243		
		394	0.121	0.121		
	योग-		1.957	1.752		
६	बद्रीप्रसाद आ. कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण	426	0.555	0.555		
		427	0.384	0.384		
		428/1/1	4.902	4.902		
	योग-		5.841	5.841		
७	सुदामा आ. कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी पन्डरभटा	487	2.825	0.650		
		489	0.148	0.060		
	योग-		2.973	0.710		
८	सत्यपाल आ. कच्छीलाल जाति जैन	432/4	0.210	0.210		
		433	0.271	0.271		
	योग-		0.481	0.481		
९	वीरज आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण	424/1/1	0.433	0.433		
		434	0.760	0.250		
	योग-		1.193	0.683		
१०	विनोद आ. रामगोपाल जाति ब्राह्मण	411	0.470	0.470		
		413	0.632	0.632		
	योग-		1.102	1.102		
११	सुरेश आ. रामगोपाल जाति ब्राह्मण	572/410/2	1.000	1.000		
		412	0.174	0.174		
	योग-		1.174	1.174		
१२	शोभाराम आ. गंधर्व सिंह जाति यादव	415/3	1.292	1.292		
१३	रामवती आ. रतिराम जाति यादव निवासी पन्डरभटा	417/2, 418	0.142	0.142		
१४	हम्मीर सिंह, ऊधमसिंह आ. रामचरण जाति यादव	545/470	0.543	0.543		

१७	रामकुंवर आ. लक्ष्मण निवासी चरगावां	538/479	0.142	0.142		
१६	ग्याप्रसाद आ. गजराज सिंह, रामप्रसाद आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	570/389 में से	0.991	0.140		
१७	कमलेश आ. वृन्दावन जाति यादव	405/2/2	0.250	0.250		
१८	शैतानसिंह आ. सुप्यार सिंह जाति यादव	428/2/2	1.416	1.416		
१९	विनय कुमार आ. कछेदीलाल जाति जैन	432/1	2.023	2.023		
२०	शिखरचंद आ. कछेदीलाल जाति जैन	432/2	2.023	2.023		
२१	राजकुमार आ. कछेदीलाल जाति जैन	432/3	2.428	2.428		
२२	विनयकुमार, शिखरचंद, राजकुमार आ. कछेदीलाल जाति जैन, रायसाहब आ. गोविंद प्रसाद, जितेन्द्रसिंह आ. ग्याप्रसाद जाति यादव, संतोष आ. बट्टीप्रसाद जाति यादव, चंदनसिंह, गोविन्द आ. कुंदन जाति यादव,	438	2.525	1.040		
२३	प्रीती, रचना, रानी आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण	490	0.295	0.060		
२४	सुरेश आ. हक्के जाति रजक	572/410/1	0.254	0.254		
२५	लक्ष्मीनारायण आ. परसराम जाति ब्राह्मण	576/410	0.340	0.050		
२६	बट्टीप्रसाद आ. कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण	431	0.308	0.308		
२७	बाबूलाल आ. लालसिंह, सदीप ना.बा.आ. गोविन्दी संरक्षक बाबूलाल आ. लालसिंह जाति यादव	430/1	0.221	0.221		
२८	वृन्दावन आ. खिलानसिंह जाति यादव	405/2/1	0.263	0.263		
२९	बबलेश आ. वृन्दावन जाति यादव	406/1	0.101	0.101		
३०	वीरसिंह आ. गुलाबसिंह जाति यादव	429/1	0.052	0.052		
३१	मलखानसिंह आ. इमरतसिंह जाति यादव	429/2	1.057	1.057		
३२	सोमतसिंह आ. इमरतसिंह जाति यादव	429/3	1.056	1.056		
३३	गंगाराम आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	393/1/2	1.659	1.659		
३४	बलराम आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	393/1/3	1.930	1.930		

३७	राधेलाल आ. ग्याप्रसाद जाति यादव	393/1/4	2.524	2.524		
३६	निर्मलाबाई पत्नि बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण	393/2/1	5.354	3.054		
३७	कैलाशबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण	393/2/2/1	0.809	0.809		
३८	प्रीती, रचना, रानी आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण	393/2/2/2	0.109	0.109		
३९	सपना, कमलेश, अर्पित, प्राची, शिखा आ. कमलेश जाति पाण्डे	424/2	1.214	0.607		
४०	विनय कुमार, शिखरचंद, राजकुमार आ. कछेदीलाल जाति जैन	480	1.170	0.605		
४१	जयपाल आ. सुप्यारसिंह जाति यादव	428/1/2	1.416	1.416		
४२	अमरसिंह आ. निजाम सिंह जाति यादव	430/2	2.178	2.178		
४३	सुप्यार आ० हजारीलाल जाति यादव	428/2/1	0.607	0.607		
४४	विशाल आ. भज्जी जाति यादव निवासी बेगमगंज	405/1/1	1.425	1.425		
		404/1/1	0.281	0.120		
	योग-		1.706	1.545		
४७	रंधीर आ. भज्जी जाति यादव निवासी बेगमगंज	405/1/2	0.447	0.447		
		404/1/2	1.160	0.340		
	योग-		1.607	0.787		
४६	अनुरुद्ध ना.बा.आ. कमल, रामश्री बेवा कमल निवासी बेगमगंज	405/3	0.318	0.318		
		405/1/3	0.280	0.280		
		404/1/3	0.839	0.160		
	योग-		1.437	0.758		
	महायोग-		65.379	53.572		

— भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-6151-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 14 अगस्त 2023

प्रारूप क
नियम 04

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित तहसील कार्यालय घंसौर के परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण झाबुआ पावर लिमिटेड के कोल परिवहन हेतु रेल्वे लाईन निर्माण हेतु करना चाहती है और लोक परियोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वास और पूनर्ब्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों पर एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पूनर्ब्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पूनर्ब्यस्थापन विकास योजना) नियम 2015 के अनुरूप किया जायेगा।

01	परियोजना विकासक का नाम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाबुआ पावर लिमिटेड संयुक्त उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड
02	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोयला परिवहन के लिये रेल्वे लाईन बिछाने हेतु।
03	अध्यन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भूअर्जन अधिकारी घंसौर 2. अनुविभागीय अधिकारी जन संसाधन विभाग 3. वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिकारा 4. कृषि अधिकारी 5. अनुविभागीय अधिकारी भवन निर्माण विभाग 6. सरपंच ग्राम पंचायत बिनेकीकला
04	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	घंसौर
ग	ग्राम	ग्राम बिनेकी कला
घ	कुल प्रस्तावित क्षेत्र	1.35 हेक्टेयर
ड	अर्जित होने वाला क्षेत्र	1.35 हेक्टेयर
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोयला आधारित विद्युत संयंत्र झाबुआ पावर लिमिटेड के लिये रेल माध्यम से कोयले का परिवहन हेतु रेलवे लाईन बिछाने हेतु।
06	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	ग्राम बिनेकीकला एवं प्रभावित क्षेत्र 1.35 हेक्टेयर।
07	क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित हैं	नहीं
08	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से 6 माह के अंदर।

1. अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण झाबुआ पावर लिमिटेड, ग्राम बरेला, पो0 बरेला में किया जा सकता है।

क्र.-6152-जि.भू.अ.-2023

प्रारूप क
नियम 04

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित तहसील कार्यालय घंसौर के परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण झाबुआ पावर लिमिटेड के कोल परिवहन हेतु रेल्वे लाईन निर्माण हेतु करना चाहती है और लोक परियोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वास और पूनर्ब्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों पर एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पूनर्ब्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पूनर्ब्यस्थापन विकास योजना) नियम 2015 के अनुरूप किया जायेगा।

01	परियोजना विकासक का नाम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाबुआ पावर लिमिटेड संयुक्त उपकम एनटीपीसी लिमिटेड
02	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोयला परिवहन के लिये रेल्वे लाईन बिछाने हेतु।
03	अध्यन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भूअर्जन अधिकारी घंसौर 2. अनुविभागीय अधिकारी जन संसाधन विभाग 3. वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिकारा 4. कृषि अधिकारी 5. अनुविभागीय अधिकारी भवन निर्माण विभाग 6. सरपंच ग्राम पंचायत बरेला
04	भूमि का विवरण	
क	जिला	सिवनी
ख	तहसील	घंसौर
ग	ग्राम	ग्राम बरेला
घ	कुल प्रस्तावित क्षेत्र	0.40 हेक्टेयर
ड	अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.40 हेक्टेयर
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोयला आधारित विद्युत संयंत्र झाबुआ पावर लिमिटेड के लिये रेल माध्यम से कोयले का परिवहन हेतु रेलवे लाईन बिछाने हेतु।
06	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	ग्राम बरेला एवं प्रभावित क्षेत्र 0.40 हेक्टेयर।
07	क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है	नहीं
08	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से 6 माह के अंदर।

- अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण झाबुआ पावर लिमिटेड, ग्राम बरेला, पो0 बरेला में किया जा सकता है।

क्र.-6226-जि.भू.अ.-2023

भूमि रक्षित सरकार को यह प्रतीत होता है कि, लोक प्रयोजन के लिए ग्राम भिलमा प.ह.न. 83 र. नि.म. लखनादौन तहसील लखनादौन जिला सिवनी में कुल 0.31 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात् गेल(इंडिया) लिमिटेड की नागपुर छिंदवाड़ा जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सामाजिक समाघात रिपोर्ट का सार इस प्रकार है:-

1. नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है, जिसमें कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पंप खुलने की संभावना तथा पाईप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचेगी।
2. नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.बी.) स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.बी.) स्टेशन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये अचिंत्य के प्रति (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन के कार्यालय में कर सकेगा। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम का नाम :- भिलमा प.ह.न.-83
2. रा.नि.मं. :- लखनादौन तहसील:- लखनादौन जिला -- सिवनी
3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर

क्र.	सर्वेक्षण सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का सं० हे०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सोमाए				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	187/8	भूमिस्वामी	कृषि	0.31	भैयाजी, मूलचंद, सिलोचना, गौराबाई पिता शारदाप्रसाद बिट्टीबाई बेवा शारदाप्रसाद जाति लोधी पता भिलमा लखनादौन भूमिस्वामी	रास्ता(शासकीय)	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शेष भूमि	स्वयं की शामिल खाते की भूमि	-	-	-	-
योग	1			0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र.-6227-जि.भू.अ.-2023

चूंकि रागुचिा सरकार को यह प्रतीत होता है कि, लोक प्रयोजन के लिए ग्राम मारबोडी प.ह.नं. 18 रा. नि.म. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी में कुल 0.31 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात् गेल(इंडिया) लिमिटेड की नागपुर छिंदवाडा जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सामाजिक समाघात रिपोर्ट का स्तर इस प्रकार है:-

1. नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है, जिसमें कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पंप खुलने की संभावना तथा पाईप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचेगी।
2. नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.)स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी सिवनी के कार्यालय में कर सकेगा। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम का नाम :- मारबोडी प.ह.नं.-18
2. रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:- सिवनी जिला - सिवनी
3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर

क्र.	सर्वेक्षण सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे० म	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं		
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	833	भूमिस्वामी	कृषि	0.31	मोहनलाल पिता डोगरू उर्फ गनेशा अवधलाल राजवती गुडडी रमानपुरी तिजिया पिता रामलाल इन्द्रा बेवा रामलाल सहसलाल बेनीराम सहजपुरी फूलकली पिता तामू सीमा बेवा पंचमलाल कार्तिक पूर्वी पिता पंचमलाल सुरभि नाबालिग पिता पंचमलाल संरक्षक सीमा जाति अहीर पता मारबोडी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भूमिस्वामी का शेष रकबा	भूमिस्वामी का शेष रकबा	साइक	भूमिस्वामी का शेष रकबा	पलास वृसंग	4	1	-	-
योग	1			0.31							5			

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र.-6228-जि.भू.अ.-2023

भूमि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि, लोक प्रयोजन के लिए ग्राम घोघरी प.ह.न. 12/14 रा.नि.मं. चमारीखुर्द तहसील छपारा जिला सिवनी में कुल 0.31 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात् गेल(इंडिया) लिमिटेड की नागपुर छिंदवाडा जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) ग्रुप द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सामाजिक समाघात रिपोर्ट का सार इस प्रकार है:-

1. नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है, जिसमें कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पंप खुलने की संभावना तथा पाईप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचेगी।
2. नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर संक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.)स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की नागपुर-छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना अंतर्गत संक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन के कार्यालय में कर सकेगा। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम का नाम :- घोघरी प.ह.न.-12/14
2. रा.नि.मं. :- चमारीखुर्द तहसील:- छपारा जिला - सिवनी
3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर

क्र.	सर्वेक्षण सं०	स्वास्थ्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे० म०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	17	भूमिस्वामी	कृषि	0.31	शिवशंकर, संतोष, किरण, सरोज,सुमन, निशा, मीना पिता फत्तूलाल जाति अग्रवाल पता सिवनी भूमिस्वामी	स्वयं की शेष भूमि	रास्ता	स्वयं की शेष भूमि	ममता ठाकुर की भूमि	-	-	-	-
योग	1			0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र.-6229-जि.भू.अ.-2023

भूमि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि, लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बजारी प.ह.न. 06 श.नि. में, धूमा तहसील लखनादौन जिला सिवनी में कुल 0.43 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात् गेल(इंडिया) लिमिटेड की नागपुर छिंदवाड़ा जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सामाजिक समाघात रिपोर्ट का सार इस प्रकार है:-

1. नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है, जिसमें कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पंप खुलने की संभावना तथा पाईप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचेगी।
2. नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.)स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन के कार्यालय में कर सकेगा। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. ग्राम का नाम | :- बंजारी | प.ह.न.-06 |
| 2. रा.नि.मं. | :- धूमा | तहसील:- लखनादौन जिला - सिवनी |
| 3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल | :- 0.43 हेक्टेयर | |

क्र.	सर्वेक्षण सं०	स्वास्थ्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	158 / 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.43	शैलजा ठाकुर पिता प्रतिपालसिंह ठाकुर जाति गौड पता सिवनी लखनादौन सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	जनीराम पिता पतिराम गौड की भूमि	ललीता बाई बेवा कसोड गौड की भूमि	ग्राम की सीमा	शासकीय एन.एच-7	-	-	-	-
योग	1			0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प.क्र.-9163-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0019/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 07-08-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0019/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 07-08-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम रूगनाथपुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम रूगनाथपुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

ग्राम रूगनाथपुरा, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान रूगनाथपुरा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	शिवसिंह पिता पूरजी जाति सौंध्या नि. ग्रा. भूस्वामी	35/3/2	0.861	0.298
	योग	किता 1	0.861	0.298
2	बालूसिंह मूलसिंह पिता नारानसिंह, धापूबाई बैवा नारानसिंह जाति राजपूत निवासी सेमली काकड़	36/2/1	0.597	0.129
	योग	किता 1	0.597	0.129
3	शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति गुर्जर नि.ग्रा. भूस्वामी	36/2/2/1	0.253	0.120
	योग	किता 1	0.253	0.120
4	गिरिराज पिता भगवान सिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/5/1/2	0.189	0.090

	योग	किता 1	0.189	0.090
5	ईश्वरसिंह पिता भगवानसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/5/2/2	0.289	0.090
	योग	किता 1	0.289	0.090
6	कमलसिंह पिता बलवन्तसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/6/2	0.365	0.258
	योग	किता 1	0.365	0.258
7	लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/3/1/2	0.090	0.090
	योग	किता 1	0.090	0.090
8	दरियावबाई बेवा अनारसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/3/2/2	0.088	0.088
	योग	किता 1	0.088	0.088
9	बद्रीलाल पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि. ग्रा. भूस्वामी	37/2/2/1 84/11/2	0.060 0.326	0.060 0.189
	योग	किता 2	0.386	0.249
10	बनेसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंध्या नि. ग्रा. भूस्वामी	37/2/2/2	0.219	0.180
	योग	किता 1	0.219	0.180
11	रतनसिंह पिता पूरजी जाति सौंध्या नि. ग्रा. भूस्वामी	92/1/2 106/1	0.303 0.132	0.303 0.044
	योग	किता 2	0.435	0.347
12	बिहारीलाल पिता पूरा जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	92/2 106/2 107/2/2	0.363 0.131 0.268	0.021 0.044 0.201
	योग	किता 3	0.762	0.266
13	बीरमसिंह पिता समदा जाति सौंध्या नि. ग्रा. भूस्वामी	92/3/1 100/3/2	0.473 0.325	0.224 0.076
	योग	किता 2	0.798	0.300
14	भंवरलाल पिता शिवनारायण जाति महाजन नि. ग्रा. भूस्वामी	93/2/1	0.274	0.274
	योग	किता 1	0.274	0.274
15	सुरेश पिता बनेसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	90/1/2	0.759	0.182
	योग	किता 1	0.759	0.182
16	शिवसिंह नारायण सिंह पिता पूरजी जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	101/2	1.280	0.452
	योग	किता 1	1.280	0.452
17	कमेरसिंह पिता रतनसिंह जाति सौंध्या नि. ग्रा. भूस्वामी	107/1	0.518	0.110
	योग	किता 1	0.518	0.110
	कुल योग	किता 22	8.163	3.523

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प.क्र.-9166-भू-अर्जन-2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0021/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0021/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम फतेहपुर रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम फतेहपुर रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

ग्राम फतेहपुर, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान फतेहपुर	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
1.	शिवप्रसाद पिता गोरधन जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	25/2/1	0.279	0.210
		योग	0.279	0.210
2.	राजेश पिता गोरधन जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	25/2/2	0.280	0.210
		योग	0.280	0.210
3.	मुकेश पिता गोरधन जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	25/2/3	0.280	0.210
		योग	0.280	0.210
4.	शिवनारायण पिता मोती जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	33/3/1	0.194	0.015
		योग	0.194	0.015

5.	नारायण पिता गंगाराम जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	314/2 318/1/3 311/2/1/1	0.088 0.032 0.433	0.019 0.032 0.083
		योग	0.553	0.134
6.	शंकरलाल पिता जालम न्यादीबाई पिता जालम जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	331/2	0.303	0.010
		योग	0.303	0.010
7.	सुगनबाई पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी फतेहपुर भुस्वामी	329/3/1/2	0.506	0.086
		योग	0.506	0.086
8.	गोपाल पिता पूरा रुकमीबाई पति गोपाल जाति चमार निवासी फतेहपुर भुस्वामी	329/4/1	0.349	0.182
		योग	0.349	0.182
9.	मांगीलाल दरियावबाई नोरंगबाई पिता भेरूसिंह जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	28/1/4/3	0.013	0.013
		योग	0.013	0.013
10.	रमेश कंवरलाल पिता रतनलाल अनारबाई वेवा रतनलाल जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	28/2/2	0.071	0.071
		योग	0.071	0.071
11.	प्रह्लाद पिता नरसंगलाल जाति दांगी निवासी खिलचीपुर भुस्वामी	28/1/5	0.371	0.221
		योग	0.371	0.221
12.	भंवरलाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी	28/1/3	0.304	0.025
		योग	0.304	0.025
		कुल योग	3.503	1.387

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प.क्र.-9167-भ-अर्जन-2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0022/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0022/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम जामोन्या रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम जामोन्या रेल्वे के लिये वर्णित अतिरिक्त भूमि का विवरण:-

ग्राम जामोन्या, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान जामोन्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा
1	नाथूसिंह विजयसिंह रामप्रसाद पिता अमरसिंह धापूबाई वेवा कंवरलाल जाति दागी नि. जामोन्या भूस्वामी	164/1/1	2.160	0.570
		योग	2.160	0.570
2	हीरालाल पिता घीसालाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी	168/1 169/1/2 170/1/2	0.152 0.299 0.269	0.065 0.090 0.070
		योग	0.720	0.225
3	मनोहर पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी	246/2/1	0.396	0.075
		योग	0.396	0.075
4	अर्जुनसिंह सुनिता पप्पी पिता लक्ष्मीनारायण अज्ञान पालन कर्त माता सोरमबाई पति लक्ष्मीनारायण दागी नि. जामोन्या भूस्वामी	246/2/2	0.344	0.023

		योग	0.344	0.023
5	रमेश पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	246 / 2 / 3	0.397	0.076
		योग	0.397	0.076
6	चम्पालाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	247 / 1 / 1	0.040	0.020
		योग	0.040	0.020
7	रामचरण पिता किशनलाल पवन राकेश पिता गोरीलाल पालनकर्ता माता मू मागीबाई वैवा गोरीलाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी	247 / 2 / 2	0.041	0.041
		योग	0.041	0.041
8	कंवरलाल पिता भंवरलाल, वदनबाई बेवा भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	248 / 3 / 1	0.064	0.064
		योग	0.064	0.064
9	राधेश्याम गोकुलभाई रेशमबाई पिता बापूलाल, बदामबाई देवा बापूलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	248 / 3 / 2	0.065	0.065
		योग	0.065	0.065
10	मोहन लाल पिता प्रहलाद जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	248 / 3 / 3	0.064	0.064
		योग	0.064	0.064
11	माधु पिता प्रहलाद जाति दांगी नि जामोन्या	248 / 3 / 4	0.064	0.064
		योग	0.064	0.064
12	बंशीलाल चौथमल पिता गुलाब जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	409 / 1 410 / 1	0.309 0.197	0.080 0.100
		योग	0.309	0.180
13	मांगीलाल पिता रामलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	283 / 1 / 1	0.059	0.015
		योग	0.059	0.015
14	गंगाधर चुष्ठीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	283 / 1 / 2	0.059	0.015
		योग	0.059	0.015
15	नारायण देवचंद पिता किशनलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	283 / 1 / 3	0.059	0.015
		योग	0.059	0.015
16	गोरीलाल पिता घीसा जाति दांगी जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	283 / 3	0.089	0.015
		योग	0.089	0.015
17	देवसिंह पिता नंदराम जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	171 / 70 / 1	1.122	0.103
		योग	1.122	0.103
		कुल योग	6.052	1.630

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली पूरक प्रस्ताव की भूमि का विवरण
ग्राम:- जामोन्या

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान जामोन्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा
1	पूनम चंद पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	171/4/1	1.259	0.450
		योग	1.259	0.450
2	हजारीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	171/4/2	1.259	0.450
		योग	1.259	0.450
3	रामनरायन पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी	171/4/3	0.244	0.244
		योग	0.244	0.244
		कुल योग	2.762	1.144

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प.क्र.-9165-भू-अर्जन-2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0023/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 07-08-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0023/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 07-08-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम कमालपुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम कमालपुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

ग्राम कमालपुरा, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान कमालपुरा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	प्रदीप कुमार पिता शिवप्रसाद जाति गुप्ता निवासी ग्राम भूस्वामी	35	1.238	0.126
	योग		1.238	0.126
2	रतनलाल पिता पूरजी जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	36/1 37/1/2	0.063 0.177	0.063 0.145
	योग		0.240	0.208
3	बिहारीलाल पिता पूरजी जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	36/2 37/2/2	0.062 0.167	0.062 0.145
	योग		0.229	0.207
4	बीरमसिंह पिता समदा जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	37/3/1	0.395	0.145
	योग		0.395	0.145

5	मांगीलाल पिता रूगनाथ जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	38/2/1	0.337	0.083
	योग		0.337	0.083
6	कमेरसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्या नि.ग्रा. रघुनाथपुरा	38/2/2	0.379	0.107
	योग		0.379	0.107
7	मानसिंह पिता भंवरलाल जाति राव निवासी करणपुरा भूस्वामी	39/1/2 41/2	0.419 0.350	0.392 0.126
	योग		0.769	0.518
8	माउसिंह पिता हीरालाल जाति सौंध्या निवासी रघुनाथपुरा भूस्वामी	39/2/2	1.038	0.114
	योग		1.038	0.114
9	मोहित वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा जाति मेहर निवासी शिवधाम कोलोनी राजगढ़	39/3/2	0.432	0.038
	योग		0.432	0.038
10	मांगीलाल पिता अनार जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी	41/1	1.374	0.526
	योग		1.374	0.526
11	निशांत सर्राफ पिता मधुरेश कुमार जाति महाजन नि.ग्रा. भूस्वामी	41/3	0.699	0.051
	योग		0.699	0.051
12	मयंक जायसवाल पिता मोहनलाल जायसवाल जाति कलाल नि. राजगढ़	41/4	0.349	0.127
	योग		0.349	0.127
13	मांगीलाल, करणसिंह, लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ दरियावबाई बैवा अनारसिंह, भारतसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंध्या निवासी रघुनाथपुरा	42/1	1.041	0.225
	योग		1.041	0.225
	कुल योग		8.520	2.475

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प.क्र.-9164-भू-अर्जन-2023

--: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0024/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0024अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम अभयपुर रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

--: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम अभयपुर रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण

ग्राम अभयपुर, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान अभयपुर	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
1.	प्रभूबाई वेवा बालू सिंह देवीलाल, रामनारायण पिता बालू सिंह जाति सौंधिया निवासी खिलचीपुर भूस्वामी	27/2/1	0.050	0.050
		योग	0.050	0.050
2.	बिरमसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. अभयपुर भूस्वामी	27/3 81/1/3	0.253 0.323	0.018 0.072
		योग	0.576	0.090
3.	सोरम बाई बेवा जगन्नाथ (1/9) प्रेमनारायण गीताबाई धापूबाई पिता धूलजी (1/3) नारायण पिता जगन्नाथ (1/9) अशोक पिता जगन्नाथ (1/9) दयाराम पिता बापूलाल (1/3) जाति चमार नि. खिलचीपुर भूस्वामी	89/1	0.147	0.052

		योग	0.147	0.052
4.	घीसालाल, रामचन्द्र पिता मांगीलाल, बीरम पिता केशर गंगाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया निवासी अभयपुर भूस्वामी	88/1 88/3	0.300 0.592	0.268 0.065
		योग	0.892	0.333
7.	दरियाव बाई पत्नि अमरसिंह जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	98/1/1	0.181	0.009
		योग	0.181	0.009
8.	नन्दराम पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. अभयपुर भू-स्वामी	211/35/1 /1	0.773	0.773
		योग	0.773	0.773
9.	जगदीश भागीरथ पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	81/2/1	0.038	0.025
		योग	0.038	0.025
10.	भगवानसिंह कमलसिंह पिता गब्बा जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	20/2/1 20/2/3 83/2/1	0.036 0.037 0.172	0.036 0.037 0.022
		योग	0.245	0.095
11.	केशर सिंह पिता नाथूलाल जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	20/1/3/1 /1	0.221	0.050
		योग	0.221	0.050
12.	बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी	84/3/1	0.082	0.007
		योग	0.082	0.007
		कुल योग	3.205	1.484

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है।

प.क्र.-9162-भू-अर्जन-2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0026/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0026/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम जालमपुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम जालमपुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

ग्राम जालमपुरा, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान जालमपुरा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
1	बसंत कुमार गुप्ता पिता दामोदरदास गुप्ता जाति महाजन नि. खिलचीपुर भूस्वामी	62/1/1	0.042	0.042
		62/1/3	0.043	0.020
		योग	0.085	0.062
2	रामनिवास पिता उकारवक्ष जाति सुतार नि. जालमपुरा (1/2) भगवीनसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया. नि. जालमपुरा भूस्वामी (1/2)	62/2/1	0.021	0.021
		62/2/3	0.022	0.022
		योग	0.043	0.043
3	कमलसिंह पिता शिवसिंहजाति सौंधिया. नि. जालमपुरा भूस्वामी (1/2) रामलाल पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया. नि. जालमपुरा भूस्वामी (1/2)	63/1	0.050	0.050
		योग	0.050	0.050

4	प्रतापसिंह पिता पूरसिंह जाति सौंध्या. नि. खिलचीपुर भूस्वामी	67/3/1	0.073	0.073
		योग	0.073	0.073
5	हीरालाल पिता पूराजी सरदारबाई वेवा पूराजी जाति सौंध्या . नि. जालमपुरा भूस्वामी	69/1/1	0.041	0.041
		योग	0.041	0.041
6	बजेसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर नि. जालमपुरा भू-स्वामी	66/3	0.066	0.066
		योग	0.066	0.066
7	बिरम,रमेश,रामबाबू पिता कालू जाति चमार नि.ग्रा.जालमपुरा भू-स्वामी	71/7/1	0.648	0.100
		योग	0.648	0.100
8	नारानसिंह पिता लक्ष्मण जाति सौंध्या . नि. जालमपुरा भूस्वामी	89/2/1 89/2/3	0.004 0.005	0.004 0.005
		योग	0.009	0.009
9	देवीलाल पिता लक्ष्मण (1/2) पर्वतसिंह पिता भागचन्द जाति सौंध्या निवासी जालमपुरा भूस्वामी (1/2)	89/6/1 89/6/3	0.056 0.055	0.056 0.035
		योग	0.111	0.091
10	बजेसिंह पिता उकार सिंह जाति सौंध्या निवासी जालमपुरा भूस्वामी	82/1/3	0.007	0.007
		योग	0.007	0.007
11	बापूलाल, रूपजी, मोगजी, मदन पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी जालमपुरा भूस्वामी	79/1	0.051	0.051
		योग	0.051	0.051
12	माधो सिंह पिता गेंदालाल जाति सौंध्या निवासी खिलचीपुर भू-स्वामी	79/2/1	0.026	0.026
		योग	0.026	0.026
13	राधेश्याम पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी खिलचीपुर भू-स्वामी	83/1	0.220	0.004
		योग	0.220	0.004
		कुल योग	1.187	0.623

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है।

प.क्र.-9161-भू-अर्जन-2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0027/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0027/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गादियाकलां रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गादियाकलां रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-

ग्राम गादियाकलां, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान गादियाकलां	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
1-	फूलसिंह पिता रूपजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	168/1/1	0.023	0.023
		योग	0.023	0.023
2-	रमेश पिता माँगीलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	168/2/1/1	0.012	0.012
		योग	0.012	0.012
3-	बाबूलाल पिता कर्वरलाल जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	168/2/1/2	0.011	0.011
		योग	0.011	0.011
4-	शिव पिता पुरा, बदनबाई पिता पूरा जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	165/4/1	0.096	0.096
		योग	0.096	0.096
5-	माँगीलाल पिता भंवरजी जाति सोंधिया	173/1/1	0.084	0.084

	निवासी ग्राम भुस्वामी			
		योग	0.084	0.084
6-	कैशर पिता पुरा जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	172/4/1	0.244	0.204
		योग	0.244	0.204
7-	श्याम पिता भेरूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भुस्वामी	147/1/1	0.076	0.076
		योग	0.076	0.076
8-	कमल पिता हरलाल जाति चमार निवासी ग्राम भुस्वामी	147/1/2	0.076	0.076
		योग	0.076	0.076
9-	हरलाल पिता नन्दा जाति चमार निवासी ग्राम भुस्वामी	147/2	0.152	0.152
		योग	0.152	0.152
10	नारायणसिंह पिता लक्ष्मन जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी	166/2/1	0.001	0.001
		योग	0.001	0.001
		कुल योग	0.775	0.715

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 अगस्त 2023

प्रकरण क्रमांक 0009/अ-82 वर्ष 2022-23 मंजगाय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि एवं मकानों के अर्जन हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, प्रकरण में प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है जिसकी पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की तैयारी पृथक से प्रक्रियाधीन है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला - पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम - कुंवरपुर

(घ) क्षेत्रफल- निजी पर स्थित 4 मकानों का क्षेत्रफल 241.99 वर्गमी० एवं शासकीय

भूमि पर स्थित-348 मकानों का क्षेत्रफल 25952.42 वर्गमी०. कुल 352 मकानों का क्षेत्रफल 26194.41 वर्ग मी०

क्रमांक	भूमि स्वामी का विवरण	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा (वर्ग मी. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5
1	रामनाथ पिता गुरवा, देवीदीन पिता चहनू अहिरवार	655	47.85	म०प्र० शासन
2	रामबहोरी पिता सौखीलाल	655	75.43	म०प्र० शासन
3	बेवा रामकलिया पति अर्जुन, प्रेमबाबू पिता स्व० अर्जुन अहिरवार	655	52.00	म०प्र० शासन
4	हीरालाल पिता सरमन, रविकरण, सुनील, मलखन, द्वारिका, फूलचंद पिता हीरालाल, लक्ष्मी पति कुन्नीलाल	655	46.86	म०प्र० शासन
5	रामदीन पिता खंजू	655	37.86	म०प्र० शासन
6	मैकू लाल पिता फटिया	655	33.60	म०प्र० शासन
7	राकेश पिता मैकू लाल	655	132.28	म०प्र० शासन

1	2	3	4	5
8	रमेश पिता मैकू लाल	655	80.80	म0प्र0 शासन
9	रामआसरे पिता सुन्दर, धर्मेन्द्र, वीरेन्द्र पिता रामआसरे	655	121.45	म0प्र0 शासन
10	हर प्रसाद पिता मंजू, धर्मेन्द्र, रामप्रसाद पिता हर प्रसाद	655	54.00	म0प्र0 शासन
11	कन्हैया लाल पिता नत्थू	655	42.00	म0प्र0 शासन
12	कामता पिता बल्दू, प्रकाश कुमार, विजय प्रकाश पिता कामता	655	126.34	म0प्र0 शासन
13	कमलेश पिता मेडा, मुन्ना, अनारी पिता मेडा अहिरवार	655	47.80	म0प्र0 शासन
14	बल्दाऊ पिता मेडा, पुष्पा पिता बल्दाऊ	655	74.12	म0प्र0 शासन
15	कल्लू पिता मैयादीन, मायारानी अहिरवार पुत्री कल्लू, दयाराम अहिरवार पिता सीताराम, राजू पिता कल्लू, मनोज पिता सीताराम	655	48.55	म0प्र0 शासन
16	बाबू पिता छोटा, सिया पिता सुकरता	655	50.71	म0प्र0 शासन
17	बद्री पिता शुक्ला	655	23.00	म0प्र0 शासन
18	कृपाल पिता बुलिया, प्रेमबाबू, आशाराम पिता कृपाल अहिरवार	655	61.47	म0प्र0 शासन
19	रामआसरे पिता बद्दुआ, शिवराम पिता बद्दुआ	655	38.79	म0प्र0 शासन
20	मोहनलाल पिता लटोरा, लखन पिता लटोरा	655	69.83	म0प्र0 शासन
21	कलिया बेवा शिवप्रसाद	655	70.32	म0प्र0 शासन
22	शिवनारायण पिता किशोरा, भोला प्रसाद पिता शिवनारायण	655	44.55	म0प्र0 शासन
23	अयोध्या पिता भौनिया, राजाराम, सजीवन पिता अयोध्या, बलराम पिता राजाराम	655	44.31	म0प्र0 शासन
24	लक्ष्मी प्रसाद पिता दुर्जन, सुभाष, रामनरेश पिता लक्ष्मी प्रसाद	655	86.00	म0प्र0 शासन
25	नत्थू पिता शम्भू	655	77.15	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
26	सेवाराम पिता बदवा, मालती बेवा बदवा	655	51.70	म0प्र0 शासन
27	धनीराम पिता रघुवर, श्रीराम, मइयादीन, मुन्नीराम	655	21.78	म0प्र0 शासन
28	परमानंद पिता रामदीन	655	68.01	म0प्र0 शासन
29	रामेश्वर पिता प्यारे कोंदर	655	55.80	म0प्र0 शासन
30	संतोष कुमार पिता सुन्दर कोंदर	655	70.43	म0प्र0 शासन
31	रामसजीवन पिता प्यारे कोंदर	655	75.72	म0प्र0 शासन
32	रामप्यारे पिता कुटिया कोंदर, भैयन पिता रामप्यारे कोंदर, संतोष पिता रामप्यारे कोंदर	655	55.97	म0प्र0 शासन
33	घसीटा पिता कंधी कोंदर	655	26.46	म0प्र0 शासन
34	दीनदयाल पिता धन्नी कोंदर	655	49.5	म0प्र0 शासन
35	प्रेमी पिता घसीटा कोंदर	655	28.35	म0प्र0 शासन
36	नत्थू पिता कंधी कोंदर	655	57.80	म0प्र0 शासन
37	बेवा तुलसिया पति सिया, गुन्नू पिता सिया कोंदर	655	21.45	म0प्र0 शासन
38	महन्ती पति गुन्नू कोंदर	655	25.21	म0प्र0 शासन
39	बेटू लाल पिता कल्ला कोंदर	655	15.00	म0प्र0 शासन
40	कल्ला पिता गोरे लाल कोंदर	655	52.99	म0प्र0 शासन
41	मंगी पिता घसीटा कोंदर	655	35.95	म0प्र0 शासन
42	जुग्गा पिता कुटिया कोंदर	655	25.43	म0प्र0 शासन
43	राजेश पिता जुग्गा	655	18.55	म0प्र0 शासन
44	पप्पू पिता जुग्गा	655	15.00	म0प्र0 शासन
45	कंधी पिता हल्काई कोंदर	655	27.56	म0प्र0 शासन
46	परम उर्फ लडकू पिता प्यारे लाल साहू, कमलेश, मुकेश राजा, सुनील, बबलू पिता परम	655	110.86	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
47	रोशन पिता भवानीदीन कोंदर, महेश पिता रोशन	655	34.49	म0प्र0 शासन
48	देवी दयाल पिता कढोरा कोंदर	655	49.6	म0प्र0 शासन
49	राजू पिता सुन्दर कोंदर, सुन्दर कोंदर पिता धन्नू, भईयालाल पिता सुन्दर	655	52.45	म0प्र0 शासन
50	राम कुमार पिता हरदीन कोंदर, रजुवा पिता हरदीन	655	25.5	म0प्र0 शासन
51	बबलू पिता रामेश्वर, रामसजीवन पिता प्यारे कोंदर	655	54.42	म0प्र0 शासन
52	प्यारे पिता जगन्नाथ	655	9.05	म0प्र0 शासन
53	राजू पिता पूरन साहू	655	59.55	म0प्र0 शासन
54	जीवन लाल पिता प्यारे लाल साहू	655	47.90	म0प्र0 शासन
55	सीताराम पिता प्यारे लाल साहू	655	98.55	म0प्र0 शासन
56	बैजू पाल, राममिलन पिता रामेश्वर पाल, अशोक, चंद्रपाल पिता राममिलन	655	116.15	म0प्र0 शासन
57	कमलेश पिता लडकू साहू	655	37.89	म0प्र0 शासन
58	रामेश्वर पिता मैयादीन साहू	655	91.27	म0प्र0 शासन
59	हरीदास पिता रघ्यू साहू, मुन्नी लाल पिता हरीदास साहू	655	51.72	म0प्र0 शासन
60	बैजू पिता रामेश्वर पाल, राममिलन पिता रामेश्वर, चंद्रपाल, अशोक	655	184.64	म0प्र0 शासन
61	लडकू पिता रामदास खंगार	655	44.35	म0प्र0 शासन
62	बेवा भगुनिया पति आशाराम, कमलेश पिता आशाराम खंगार	655	72.43	म0प्र0 शासन
63	कल्लू पिता रामदास	655	30.20	म0प्र0 शासन
64	राकेश कुमार पिता राजाभईया, नूतन पिता राकेश	655	77.66	म0प्र0 शासन
65	महेन्द्र कुमार, अवधेश पिता आशाराम	655	53.82	म0प्र0 शासन
66	भैयाराम पिता भूरापाल	655	78.67	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
67	सिया पिता हरीदास साहू	655	60.90	म0प्र0 शासन
68	रज्जू पिता मुन्ना लाल विश्वकर्मा, अर्जुन, बृजकिशोर, राजेश पिता रज्जू	655	133.88	म0प्र0 शासन
69	संतोष कुमार, रमेश, राकेश, सुरेश पिता संतू लाल गुप्ता	655	116.55	म0प्र0 शासन
70	सुरेश, संतोष पिता संतूलाल	655	15.68	म0प्र0 शासन
71	बेवा मुन्नी बाई पति रजवा खंगार	655	78.25	म0प्र0 शासन
72	रामधनी पिता हीरालाल खंगार	655	22.80	म0प्र0 शासन
73	नंदपाल पिता कामता प्रसाद	655	119.31	म0प्र0 शासन
74	ठाकुरदीन पिता मदारी	655	30.43	म0प्र0 शासन
75	दुग्गू उर्फ महेश पिता मदारी	655	28.20	म0प्र0 शासन
76	अज्जू पाल पिता मदारी पाल	655	62.04	म0प्र0 शासन
77	सीताराम पिता रामदास खंगार, जहीर पिता सीताराम	655	95.51	म0प्र0 शासन
78	मदारी पिता हीरालाल खंगार	655	60.62	म0प्र0 शासन
79	रामनारायण पिता हीरालाल खंगार	655	85.72	म0प्र0 शासन
80	राजकुमारी पति रामनारायण	655	7.29	म0प्र0 शासन
81	रज्जू पाल पिता छोटा पाल, किशोरा पाल	655	50.40	म0प्र0 शासन
82	सुकरितन बेवा बैजू पाल, सीताराम पिता गोटा पाल	655	37.12	म0प्र0 शासन
83	बौरा पिता नत्थू	655	122.29	म0प्र0 शासन
84	कामता प्रसाद पिता हीरालाल	655	107.87	म0प्र0 शासन
85	मैकू पिता राधेपाल, कल्लू पिता प्यारे	655	110.18	म0प्र0 शासन
86	अनंतराम पिता जगप्रसाद तिवारी	655	94.54	म0प्र0 शासन
87	सुन्दर, किशोरा पिता सुकरता पाल	655	103.28	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
88	चिरंजू पिता सुकरता पाल, लालमणि, शिवचरण पिता सुकरता पाल	655	87.82	म0प्र0 शासन
89	नन्द किशोर पिता सजीवन पाल, खिलईया, लक्ष्मण, उमाशंकर, सजीवन पिता सुरजन पाल	655	134.76	म0प्र0 शासन
90	सुकदेव पिता प्रहलाद पाल	655	29.00	म0प्र0 शासन
91	बेवा सियारानी पति भवानीदीन द्विवेदी	655	169.62	म0प्र0 शासन
92	अखिलेश, कृष्ण कुमार पिता भोला प्रसाद तिवारी	655	113.34	म0प्र0 शासन
93	अखिलेश पिता भोला प्रसाद तिवारी	655	19.17	म0प्र0 शासन
94	कृष्ण कुमार पिता भोला प्रसाद	655	59.79	म0प्र0 शासन
95	जागेश्वर पिता गोरेलाल तिवारी	655	89.24	म0प्र0 शासन
96	रामरक्षा पिता दीनदयाल	655	62.90	म0प्र0 शासन
97	महाप्रसाद पिता दीनदयाल	655	60.35	म0प्र0 शासन
98	अनारी पिता दीनदयाल, मूलचन्द्र, पप्पू, हेतराम पिता अनारी	655	84.27	म0प्र0 शासन
99	कट्टी लाल पिता सुंदरलाल तिवारी, मु0 शांति बेवा श्यामलाल, रामनारायण पिता श्यामलाल	655	105.86	म0प्र0 शासन
100	रमेश पिता जागेश्वर विश्वकर्मा	655	49.28	म0प्र0 शासन
101	कल्लू पिता हल्काई पाल	655	45.72	म0प्र0 शासन
102	जगन्नाथ पिता भवानीदीन पाल	655	129.80	म0प्र0 शासन
103	दादू पिता कल्लू पाल	655	60.54	म0प्र0 शासन
104	सुदर्शन पिता सुंदर पाल	655	63.75	म0प्र0 शासन
105	शिवरतन पिता सुंदर पाल	655	66.16	म0प्र0 शासन
106	मिन्दू पिता सुंदर लाल पाल, सुंदर पिता झुनारे	655	45.56	म0प्र0 शासन
107	आशाराम पिता रजवा पाल, मुन्ना पिता रजवा पाल	655	87.06	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
108	ओम प्रकाश पिता लखन लाल सोनी, रूकमणी बेवा लखन लाल सोनी, कमलेश पिता लखन लाल सोनी	655	78.75	म0प्र0 शासन
109	अर्जुन पिता बाबू	655	19.47	म0प्र0 शासन
110	भारत पिता सोनेलाल प्रजापति	655	22.08	म0प्र0 शासन
111	ज्ञानी, भारत पिता सोने लाल प्रजापति, बेवा सुखिया पति बाबूलाल प्रजापति, रज्जू पिता रामकेश प्रजापति	655	139.81	म0प्र0 शासन
112	रामविशाल पिता सोनेलाल रजक, बिटोला पति सोने लाल	655	31.98	म0प्र0 शासन
113	रामा पति सजीवन रजक	655	70.12	म0प्र0 शासन
114	लखपति पिता श्याम रजक	655	48.39	म0प्र0 शासन
115	सुरेन्द्र रजक पिता लखपति	655	28.00	म0प्र0 शासन
116	मु0 रमिया पति रज्जू रैकवार, विष्णु, झल्लू राजा पिता रज्जू रैकवार, दशरथ, स्वामीदीन पिता विष्णु	655	72.80	म0प्र0 शासन
117	राजा पिता रज्जू रैकवार	655	79.69	म0प्र0 शासन
118	रज्जू पिता रामकेश प्रजापति	655	37.38	म0प्र0 शासन
119	मुल्लू जंगी पिता लल्लू प्रजापति, महेश, रजवा पिता मुल्लू	655	23.20	म0प्र0 शासन
120	घसीटा पिता सुकरू प्रजापति	655	44.12	म0प्र0 शासन
121	श्याम बाई पति बर्षा प्रजापति	655	17.00	म0प्र0 शासन
122	झल्लू पिता बिन्दा प्रजापति	655	55.84	म0प्र0 शासन
123	रामआसरे पिता राधे प्रजापति	655	128.11	म0प्र0 शासन
124	सुखनन्दी पिता सीताराम प्रजापति	655	117.27	म0प्र0 शासन
125	नत्थू पिता रामआसरे प्रजापति, नन्दू पिता भूरा प्रजापति	655	55.24	म0प्र0 शासन
126	रज्जू पिता चुखरा प्रजापति	655	22.17	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
127	सजीवन पिता जुगरू प्रजापति	655	91.26	म0प्र0 शासन
128	इन्द्रपाल पिता सजीवन पाल	655	22.88	म0प्र0 शासन
129	मंदर पिता दल्लू प्रजापति, जुग्गन, नन्हें पिता मंदर	655	39.05	म0प्र0 शासन
130	गोरे लाल पिता सजीवन प्रजापति	655	43.92	म0प्र0 शासन
131	राजरानी पति शिव प्रसाद प्रजापति, प्रेमलाल, मन्नी पिता टिडियां, टिडियां पिता चुखरा	655	38.70	म0प्र0 शासन
132	गुठालू पिता हल्काई प्रजापति, रामपाल, रामप्रसाद पिता गुठालू, संतोषी पति रामप्रसाद	655	43.61	म0प्र0 शासन
133	घसीटा पिता हल्काई प्रजापति, बलीराम पिता घसीटा	655	28.21	म0प्र0 शासन
134	टिडिया पिता चुखरा प्रजापति, राजरानी पति शिवप्रसाद प्रजापति, प्रेमलाल, मन्नी पिता टिडियां	655	70.96	म0प्र0 शासन
135	सुन्दर पिता रामा बसोर, मुन्नी, हुलसी पिता सुन्दर, भइया लाल पिता सुन्दर	655	71.01	म0प्र0 शासन
136	राजू पिता मुनुवा बसोर	655	43.37	म0प्र0 शासन
137	बल्देव पिता बिन्दा प्रजापति, गणेश, दयाराम, मातादीन पिता बल्देव	655	65.62	म0प्र0 शासन
138	शोभा पिता गोला प्रजापति	655	13.51	म0प्र0 शासन
139	विशु पिता रज्जू रैकवार	655	255.35	म0प्र0 शासन
140	झल्लू पिता रज्जू रैकवार	655	114.57	म0प्र0 शासन
141	रामकिशोर पिता अच्छे लाल द्विवेदी, प्रकाश चंद्र, दीपक कुमार, अनिल कुमार, रामदेवी पिता रामकिशोर द्विवेदी	655	155.95	म0प्र0 शासन
142	राकेश पिता रामकिशोर द्विवेदी	655	174.86	म0प्र0 शासन
143	संतोष कुमार पिता रामकिशोर द्विवेदी	655	26.25	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
144	भगवत प्रसाद पिता अच्छे लाल द्विवेदी	655	36.75	म0प्र0 शासन
145	चिन्तामणि पिता राम किशोर द्विवेदी	655	58.86	म0प्र0 शासन
146	रामदेव द्विवेदी, आशीष, अनिल पिता रामदेव द्विवेदी	655	223.71	म0प्र0 शासन
147	उमाकान्त पिता सियाराम शुक्ला	655	43.80	म0प्र0 शासन
148	मिथलेश कुमार, सुशील, विनोद पिता उमाकांत शुक्ला	655	96.63	म0प्र0 शासन
149	बेवा तुलसिया पति राजाराम सोनी, राम बाबू, चुन्नी लाल, वंश गोपाल पिता राजाराम सोनी, कंधी लाल सोनी	655	89.67	म0प्र0 शासन
150	शिवनंदन, बृजनंदन, रज्जन पिता मोतीलाल	655	78.58	म0प्र0 शासन
151	शिवनंदन पिता मोती लाल सोनी, सुरेन्द्र कुमार पिता शिवनंदन	655	99.84	म0प्र0 शासन
152	अशोक कुमार पिता किशोरी लाल द्विवेदी, भारती शरण द्विवेदी	655	146.22	म0प्र0 शासन
153	बेवा रेखा, शकुन्तला पति राममिलन सोनी, पुष्पेन्द्र पिता राममिलन सोनी	655	123.04	म0प्र0 शासन
154	श्याम सुन्दर पिता हल्काई तिवारी	655	129.89	म0प्र0 शासन
155	कल्लू पिता आधार बढई, ओमप्रकाश पिता कल्लू	655	100.44	म0प्र0 शासन
156	मूलचन्द्र पिता गोविन्द प्रसाद विश्वकर्मा, भवानीदीन पिता गोविन्द प्रसाद	655	67.04	म0प्र0 शासन
157	शांति बाई पति गोविन्द प्रसाद विश्वकर्मा, मातादीन पिता गोविन्द प्रसाद	655	55.51	म0प्र0 शासन
158	मातादीन पिता गोविन्द प्रसाद	655	58.81	म0प्र0 शासन
159	सविता पति मातादीन	655	25.00	म0प्र0 शासन
160	बाबूलाल पिता नंदराम पाण्डेय	655	202.06	म0प्र0 शासन
161	राजाराम पिता अच्छे लाल द्विवेदी, मनोज पिता राजाराम	655	76.66	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
162	मातादीन पिता ठाकुर प्रसाद द्विवेदी	655	237.74	म0प्र0 शासन
163	रोहित कुमार पिता मातादीन द्विवेदी	655	66.25	म0प्र0 शासन
164	संध्या द्विवेदी पति कामता द्विवेदी, राजेश पिता कामता	655	137.44	म0प्र0 शासन
165	हेतराम पिता राजाराम द्विवेदी	655	129.45	म0प्र0 शासन
166	राजेन्द्र कुमार पिता राजाराम द्विवेदी	655	59.90	म0प्र0 शासन
167	कंधी लाल पिता राजाराम विश्वकर्मा	655	54.39	म0प्र0 शासन
168	अनारी लाल पिता राजाराम विश्वकर्मा	655	58.05	म0प्र0 शासन
169	छक्की लाल अन्तू लाल गुप्ता	655	111.30	म0प्र0 शासन
170	पंकज कुमार पिता छक्की लाल गुप्ता	655	16.00	म0प्र0 शासन
171	लक्ष्मीकांत पिता सीताराम गुप्ता, प्रदीप पिता सीताराम गुप्ता	655	117.68	म0प्र0 शासन
172	कुसुम पति केदारनाथ गुप्ता	655	29.67	म0प्र0 शासन
173	मु0 राजाबेटी गुप्ता बेवा रामदास गुप्ता, आशीष पिता रामदास गुप्ता, अशोक कुमार पिता हल्के गुप्ता, बेवा कलावती पति बाबूलाल गुप्ता, पवन पिता बाबूलाल, विमला देवी पति स्व0 श्यामलाल गुप्ता, ज्योत्सना, विमल, आदित्य पिता श्याम लाल गुप्ता	655	215.49	म0प्र0 शासन
174	प्रेम बाबू तरुण कुमार, कल्लू पिता रामेश्वर मिश्रा	655	240.36	म0प्र0 शासन
175	कालकादीन पिता प्यारे लाल अवस्थी, रज्जू पिता कालका दीन, जगप्रसाद, सुरेश, विजय पिता कालकादीन	655	236.31	म0प्र0 शासन
176	मातादीन पिता प्यारेलाल अवस्थी	655	100.05	म0प्र0 शासन
177	लक्ष्मीदेवी पति हीरालाल गुप्ता, मनमोहन पिता कुन्नी लाल गुप्ता	655	16.65	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
178	सुनील कुमार पिता सीताराम गुप्ता, सुमित पिता सुनील	655	157.03	म0प्र0 शासन
179	गया प्रसाद पिता मथुरा प्रसाद	655	77.03	म0प्र0 शासन
180	रामजी पिता रामगुलाम गुप्ता, रानी पति राम अवतार गुप्ता	655	81.37	म0प्र0 शासन
181	राजेन्द्र कुमार पिता श्याम सुंदर गुप्ता	655	29.70	म0प्र0 शासन
182	शैलेन्द्र कुमार पिता श्याम सुंदर	655	12.00	म0प्र0 शासन
183	अंकित पिता विपिन गुप्ता	655	17.34	म0प्र0 शासन
184	विपिन पिता सीताराम गुप्ता	655	40.97	म0प्र0 शासन
185	भोलेनाथ पिता सीताराम गुप्ता, राम प्यारी गुप्ता पति सीताराम गुप्ता	655	140.45	म0प्र0 शासन
186	रामसुंदर, रामसुजान पिता रामगुलाम	655	76.81	म0प्र0 शासन
187	बिहारी लाल, संतोष पिता छितानी लाल, बालकिशन पिता बिहारी लाल	655	79.43	म0प्र0 शासन
188	बैजनाथ पिता देवीदयाल गुप्ता	655	142.81	म0प्र0 शासन
189	सुरेन्द्र कुमार पिता छक्की लाल गुप्ता	655	71.65	म0प्र0 शासन
190	मेवा लाल, रमेश कुमार, हीरालाल, नवल किशोर गुप्ता पिता सत्य नारायण	655	71.03	म0प्र0 शासन
191	रेनू पति प्रमोद कुमार, घनश्याम पिता केदारनाथ गुप्ता	655	107.21	म0प्र0 शासन
192	कुसुम पति केदारनाथ गुप्ता	655	7.80	म0प्र0 शासन
193	रामसजीवन पिता छोटेलाल	655	50.50	म0प्र0 शासन
194	बेवा उर्मिला पति नत्थू प्रसाद मिश्रा	655	115.92	म0प्र0 शासन
195	हजारी लाल पिता आनंदी लाल, धमेन्द्र पिता हजारी लाल मिश्रा	655	104.90	म0प्र0 शासन
196	डेलन सिंह पिता रामसिंह यादव, भूपत सिंह, राजेन्द्र पिता रामसिंह, सखी पति रामसिंह	655	112.99	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
197	बृज बिहारी, श्याम बिहारी पिता शारदा प्रसाद गुप्ता	655	26.48	म0प्र0 शासन
198	पन्ना लाल पिता केदार नाथ गुप्ता, कुसुम पति केदार नाथ गुप्ता	655	100.03	म0प्र0 शासन
199	रामचंद्र, अरविंद्र पिता बैजनाथ गुप्ता, बैजनाथ गुप्ता पिता छोटेलाल गुप्ता	655	29.25	म0प्र0 शासन
200	रामकिशोर पिता बाला प्रसाद, देवकीनंदन, शिव शंकर पिता बाला प्रसाद तिवारी	655	118.67	म0प्र0 शासन
201	राजा पिता महाराज सिंह यादव, बाबू सिंह, बेटा सिंह पिता महाराज सिंह	655	28.9	म0प्र0 शासन
202	राजेन्द्र सिंह पिता राम सिंह यादव	655	111.90	म0प्र0 शासन
203	भरोसी पिता जागेश्वर यादव	655	81.26	म0प्र0 शासन
204	शिव लाल पिता बल्देव गुप्ता, अमित, अमरदीप पिता शिवलाल	655	47.96	म0प्र0 शासन
205	मैयादीन पिता जुगरू सेन, राजाराम, रामसनेही, राजकिशोर, केशकली, ईश्वरदीन पिता मैयादीन	655	236.91	म0प्र0 शासन
206	बेवा हल्की, बेवा राजू, बेवा कल्ली, नन्द किशोर, रामकिशन, लालदीवान, अनारी, बृजगोपाल पिता सौखीलाल यादव	655	39.76	म0प्र0 शासन
207	शिवरतन पिता दयला यादव	655	17.40	म0प्र0 शासन
208	राजाराम पिता दयला यादव	655	11.70	म0प्र0 शासन
209	रामलगन पिता दयला यादव	655	17.40	म0प्र0 शासन
210	मिठाई लाल पिता भैरम यादव, अनुज यादव पिता मिठाई लाल	655	56.76	म0प्र0 शासन
211	राजकमल पिता रामस्वरूप गुप्ता, पप्पू, ओमप्रकाश पिता रामस्वरूप गुप्ता	655	53.86	म0प्र0 शासन
212	अवधेश कुमार पिता नारायण दास गुप्ता	655	30.00	म0प्र0 शासन
213	कमलेश, शिवप्रसाद गुप्ता पिता नारायण दास	655	41.92	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
214	सुन्दर लाल पिता जगनंदन द्विवेदी	655	139.53	म0प्र0 शासन
215	राजेन्द्र पिता नारायण दास गुप्ता	655	45.15	म0प्र0 शासन
216	मिथला पति स्व0 रामकुमार यादव	655	47.35	म0प्र0 शासन
217	सुदामा पति दयाचरण यादव, लेखराम, गौरी यादव पिता दयाचरण यादव	655	172.67	म0प्र0 शासन
218	पूरन पिता गोकुल खंगार	655	104.33	म0प्र0 शासन
219	मिर्ची पिता बडे यादव	655	45.56	म0प्र0 शासन
220	कल्लू पिता बडे यादव, दयाराम पिता कल्लू यादव	655	46.44	म0प्र0 शासन
221	भगवान दास पिता मैयादीन, श्रीराम पिता मैयादीन, रामऔतार पिता मैयादीन बेवा केशकली पति जगताराम यादव	655	77.72	म0प्र0 शासन
222	भूरेलाल पिता विन्द्रावन यादव	655	89.27	म0प्र0 शासन
223	तुलसिया पिता विन्द्रावन यादव	655	33.95	म0प्र0 शासन
224	रज्जू पिता सुंदर लाल साहू	655	63.87	म0प्र0 शासन
225	मातादीन पिता गोटा यादव, आशा पति मातादीन	655	66.94	म0प्र0 शासन
226	राममिलन पिता सुन्दर लाल साहू	655	9.20	म0प्र0 शासन
227	चन्द्रहास पिता मातादीन यादव	655	47.10	म0प्र0 शासन
228	राम सुंदर पिता कुन्नीलाल	655	80.49	म0प्र0 शासन
229	आशीष पिता नंद किशोर	655	18.00	म0प्र0 शासन
230	तुलसीदास पिता मातादीन यादव	655	52.99	म0प्र0 शासन
231	राजाभइया पिता बडे यादव, देशराज, पप्पू पिता राजाभइया	655	44.50	म0प्र0 शासन
232	अनंतराम पिता श्यामलाल यादव	655	59.35	म0प्र0 शासन
233	राजू पिता बल्दू सेन, दीपक पिता मुन्ना लाल सेन	655	49.82	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
234	मुन्ना पिता बल्दू सेन	655	20.06	म0प्र0 शासन
235	रामप्यारी पिता दुर्गा प्रसाद गुप्ता	655	45.29	म0प्र0 शासन
236	श्याम सुंदर पिता कुन्नी लाल गुप्ता	655	44.01	म0प्र0 शासन
237	बेवा प्रेमा डोमर पति किशोरा	655	46.44	म0प्र0 शासन
238	कालीचरण बसोर पिता बसंता बसोर, गट्टा पिता सिपाही बसोर	655	23.10	म0प्र0 शासन
239	मंगी, धन्नी पिता प्यारे पाल	655	33.30	म0प्र0 शासन
240	वंदना पिता राम सनेही	655	21.00	म0प्र0 शासन
241	लालदीवान पिता सौखीलाल यादव	655	32.85	म0प्र0 शासन
242	देशराज, मुन्ना बल्का, राकेश पिता प्रेमनारायन सेन, प्रेमनारायन पिता हीरालाल	655	17.82	म0प्र0 शासन
243	ठाकुरदीन पिता रामदयाल अहिरवार	655	1.00	म0प्र0 शासन
244	सीताराम पिता गुलजारी यादव	655	20.25	म0प्र0 शासन
245	मुलायम पिता सेवक पाल, राजाराम, बाबू, रामहेत पिता सेवक पाल	552	230.60	म0प्र0 शासन
246	गपोला पिता कंधी पाल	552	103.50	म0प्र0 शासन
247	राजेश पिता अनंदी लाल, अनीता पति राजेश पाल	552	96.98	म0प्र0 शासन
248	पंचा लाल पिता कुंजा, रामशरण पिता पंचा पाल	552	111.36	म0प्र0 शासन
249	ईश्वरदीन पिता गोटा पाल	552	123.7	म0प्र0 शासन
250	अयोध्या पिता सुक्खा	552	113.24	म0प्र0 शासन
251	भाऊ पिता सुक्खा, रज्जी पिता भाऊ	552	65.20	म0प्र0 शासन
252	श्रीराम पिता सेवक पाल	552	137.01	म0प्र0 शासन
253	ठाकुरदीन पिता सिया पाल	552	65.55	म0प्र0 शासन
254	कृपाल पिता सिया पाल	552	34.5	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
255	बजरंगपुर वाली	552	27.39	म0प्र0 शासन
256	देवीदीन पिता सियापाल	552	34.41	म0प्र0 शासन
257	कृपाल, देवीदीन पिता सियापाल	552	27.3	म0प्र0 शासन
258	रत्तू पिता सुन्नी पाल, प्रकाश, पप्पू, शिवचरण रामबाबू पिता रत्तू पाल	552	90.74	म0प्र0 शासन
259	भगवत पिता सुन्नी पाल, अनीता, रामविशाल पिता भगवत पाल, भूरा पिता हल्के, दयाराम पिता परशराम	552	89.7	म0प्र0 शासन
260	रामकरण पिता भगवत	552	38.4	म0प्र0 शासन
261	लाले पिता सुन्नी पाल, रामकेश, रामनरेश, रामसुहावन, रामचरण पिता लाले पाल	552	53.74	म0प्र0 शासन
262	प्रभू पिता सुन्नी पाल, गुलाब रानी पति प्रभू	552	61.69	म0प्र0 शासन
263	गोरे पिता प्रभू पाल	552	29.85	म0प्र0 शासन
264	रामबाई पति नन्हू, शीला, दीपा, रचना पुत्री नन्हू	552	82.70	म0प्र0 शासन
265	मु0 शांति बेवा श्यामलाल, रामनारायण पिता श्यामलाल	552	22.80	म0प्र0 शासन
266	कल्लू पिता विशाली पाल	552	140.2	म0प्र0 शासन
267	जुग्गा पिता रजवा पाल, सियाराम पिता रजवा पाल	552	62.83	म0प्र0 शासन
268	रामआसरे पिता रजवा पाल	552	81.10	म0प्र0 शासन
269	राजाराम पिता प्यारे	552	93.74	म0प्र0 शासन
270	टिडिंया पिता कुठारी पाल	552	157.84	म0प्र0 शासन
271	झल्लू पिता कुठारी पाल	552	83.13	म0प्र0 शासन
272	कल्लू पिता प्यारे पाल	552	117.94	म0प्र0 शासन
273	संतू पिता गट्टा पाल, गट्टा पिता वैशाली, राधाचरण पिता गट्टा	552	85.96	म0प्र0 शासन
274	मुन्ना पिता गट्टा पाल, गट्टा पिता विशाली, शिवपाल पिता गट्टा	552	112.49	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
275	रमेश पिता रामसीवन पाल	552	58.32	म0प्र0 शासन
276	महेश पिता गोटा पाल, रघुनाथ पिता महेश	552	83.99	म0प्र0 शासन
277	कल्ली बेवा सरजू, सुनवा, कल्लू पिता सरजू	552	37.50	म0प्र0 शासन
278	बद्री पिता भवानीदीन, इंद्रपाल, कारे, रामनारायण, बडे भैया पिता बद्री	552	181.05	म0प्र0 शासन
279	राममिलन पिता जगदेव पाल	552	127.46	म0प्र0 शासन
280	राजू पिता विशाली	552	108.08	म0प्र0 शासन
281	राकेश पिता सजीवन पाल	552	55.08	म0प्र0 शासन
282	बाबूराम पिता विन्द्रावन, कमला पिता विन्द्रावन	552	88.60	म0प्र0 शासन
283	संतराम पिता विन्द्रावन	552	20.3	म0प्र0 शासन
284	शीतल पिता मैयादीन पाल	552	69.86	म0प्र0 शासन
285	भवानीदीन पिता टिडियां	552	52.50	म0प्र0 शासन
286	राम खिलावन उर्फ छोटे पिता टिडियां	552	49.20	म0प्र0 शासन
287	जागे पिता विन्द्रावन पाल	552	71.64	म0प्र0 शासन
288	रामऔतार पिता हल्के पाल, राजकुमार, पुनिया पिता रामऔतार	552	70.32	म0प्र0 शासन
289	राजेश पिता अनन्दी एवं कमलेश पिता पंचा पाल	552	83.98	म0प्र0 शासन
290	बडकू पिता नन्दू एवं बब्बू पिता नन्दू लाल, रजनी पति मनीराम, सम्पत पति नन्दू, पैशनी पति बडकू पाल	552	138.43	म0प्र0 शासन
291	भईया लाल पिता छन्नू पाल, दीनदयाल पिता जोहरी	552	41.5	म0प्र0 शासन
292	रामचरन पिता किशोर पाल	552	48.20	म0प्र0 शासन
293	शिवधनी पिता भवानीदीन	552	104.58	म0प्र0 शासन
294	बल्देव पिता दरबारी पाल, सुरेश, रामलगन पिता बल्देव	552	72.62	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
295	रामप्रसाद पिता धप्पू पाल	552	46.6	म0प्र0 शासन
296	तुलसीदास पिता दादू पाल, हृदयराम, जयराम, राम सुफल, हरी राम, दादू	552	223.49	म0प्र0 शासन
297	भगवान दास पिता हल्के पाल	552	169.13	म0प्र0 शासन
298	बाबूराम, बुद्धराम, इन्द्र कुमार पिता हल्के पाल एवं शान्ति पति हल्के पाल	552	52.07	म0प्र0 शासन
299	रामहेत पिता सेवक पाल	552	45.00	म0प्र0 शासन
300	रामपाल पिता जंगी पाल, शिवपाल पिता जंगी पाल	552	61.66	म0प्र0 शासन
301	रामरतन पिता कंधी पाल	552	136.58	म0प्र0 शासन
302	राम औतार पिता श्याम पाल	552	70.86	म0प्र0 शासन
303	बेटालाल पिता जन्नी पाल	552	62.12	म0प्र0 शासन
304	फुल्लन पिता जन्नी पाल	552	42.78	म0प्र0 शासन
305	नन्थू पिता भाऊ पाल	552	44.37	म0प्र0 शासन
306	हल्की पति श्याम पाल	552	45.88	म0प्र0 शासन
307	दशरथ पिता श्याम पाल	552	83.12	म0प्र0 शासन
308	प्रागी लाल पिता लाल गुल्ली, विश्राम, शिवराम, पैशनी, रामरतन पिता प्रागी	552	203.97	म0प्र0 शासन
309	लक्ष्मी, श्रीपाल, राजेन्द्र पिता शंकर, सम्पत पाल पति शंकर	552	103.23	म0प्र0 शासन
310	किशोरा पिता लाल गुल्ली, शिवचरण, राजाराम पिता किशोरा	552	214.43	म0प्र0 शासन
311	गौरी पिता सद्दू पाल	552	139.55	म0प्र0 शासन
312	गट्टू पिता छनुवा पाल	552	50.40	म0प्र0 शासन
313	प्राथमिक शाला भवन	582/2	49.60	म0प्र0 शासन
314	शौचालय प्राथमिक शाला	582/2	16.00	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5
315	माध्यमिक शाला भवन	582/2	147.40	म0प्र0 शासन
316	माध्यमिक शाला भवन	582/2	55.03	म0प्र0 शासन
317	किचन सेड माध्यमिक शाला भवन	582/2	19.25	म0प्र0 शासन
318	शौचालय माध्यमिक शाला	582/2	5.70	म0प्र0 शासन
319	कुलिया पति लोका यादव	28/1	78.00	म0प्र0 शासन
320	दयाराम पिता परशुराम, भूरा पिता हल्के गडरिया सा0 लोडी	47/1	263.93	म0प्र0 शासन
321	रामस्वरूप पिता राधे प्रजापति	134	15.40	म0प्र0 शासन
322	रामपाल पिता प्रभू	36/2	37.50	म0प्र0 शासन
323	गोरेलाल पिता प्रभू	36/2	37.50	म0प्र0 शासन
324	स्वामीदीन पिता प्रभू प्रजापति	36/2	90.50	म0प्र0 शासन
325	छैला बिहारी पिता जीवन कुम्हार	40	76.00	म0प्र0 शासन
326	दददा पिता जीवन कुम्हार	40	76.00	म0प्र0 शासन
327	रामआसरे पिता जीवन कुम्हार	41/2	123.45	म0प्र0 शासन
328	बलदाऊ, बैनी, राजू पिता मुनुआ	96	80.25	म0प्र0 शासन
329	सीताराम पिता गोटा पाल	280 /905	60.84	निजी भूमि
330	रामचरन पिता गोटा पाल	280 /905	132.85	निजी भूमि
331	रामऔतार पिता दुर्जन पाल	569	51.09	म0प्र0 शासन
332	दयाराम पिता कल्लू	569	113.00	म0प्र0 शासन
333	दुर्जन पिता कल्लू	569	107.59	म0प्र0 शासन
334	बुद्धूराम पिता हल्के पाल	569	49.41	म0प्र0 शासन
	इन्द्र कुमार पिता हल्के पाल	569	140.43	म0प्र0 शासन
	शान्ति पाल पति हल्के पाल	569	29.60	म0प्र0 शासन
	बाबूराम पिता हल्के पाल	569	23.24	म0प्र0 शासन
335	कल्यान पिता जगन पाल	569	90.63	म0प्र0 शासन
336	रामाधार पिता जगन पाल	569	90.63	म0प्र0 शासन

337	जग्गन, घण्डू पिता दरबारी	569	39.22	म0प्र0 शासन
338	राजू पिता जगेंगन पाल	569	27.00	म0प्र0 शासन
339	रामलगन पिता बल्देव पाल	569	53.10	म0प्र0 शासन
340	भजन पिता जग्गन पाल, मुन्ना, रामस्वरूप, शिवलाल पिता भजन पाल	569	214.60	म0प्र0 शासन
341	सुरेश पिता बल्देव पाल	569	60.76	म0प्र0 शासन
342	रामेश्वर पिता भइया दीन पाल	569	91.77	म0प्र0 शासन
343	रामसनेही पिता मइयादीन पाल	569	116.06	म0प्र0 शासन
344	बडकू पिता नन्दू, पैशुनी पिता बडकू	569	132.95	म0प्र0 शासन
345	बब्बू पिता नन्दू पाल, रजनी पति मनीराम, ऋषिकेश पिता बब्बू	569	93.79	म0प्र0 शासन
346	भोला प्रसाद पिता जगप्रसाद	626	21.90	निजी भूमि
347	कृष्ण कुमार, अखिलेश पिता भोला प्रसाद	628	26.40	निजी भूमि
348	रामकेश पिता जागेश्वर, संदीप, मोती पिता रामकेश	675	55.17	म0प्र0 शासन
349	रज्जू पिता मुन्ना विश्वकर्मा	675	46.48	म0प्र0 शासन
350	भूरी बाई पति नत्थू खंगार, राजू खंगार पिता नत्थू खंगार	675	160.30	म0प्र0 शासन
351	नूतन पिता राकेश मिश्रा	675	24.00	म0प्र0 शासन
352	विद्यावती पति घनश्याम मिश्रा	675	86.11	म0प्र0 शासन
		योग-	26194.41 वर्ग मी0	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम कुंवरपुर तहसील एवं अनुभाग अजयगढ ।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.